

छत्तीसगढ़ में जनजातीय आन्दोलन [TRIBAL REVOLT IN CHHATTISGARH]

आन्दोलन सामूहिक व्यवहार का ही स्वरूप है। यह उद्विकास प्रगति तथा विकास की तरह ही परिवर्तन लाने का एक तरीका है। मनुष्य अपने व्यवहार को दो तरह से अभिव्यक्त कर सकता है— (i) व्यक्तिगत रूप से, (ii) सामूहिक रूप से। आन्दोलन का संचालन समाज और संस्कृति में नये परिवर्तन लाने या नये परिवर्तनों का विरोध करने के लिए होता है। आन्दोलन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन लाना हो सकता है। अन्य शताब्दियों की अपेक्षा 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक आन्दोलन हुए हैं। अनेक राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने और स्वतन्त्र होने के लिए आन्दोलन किए। आज का समाज अधिक चेतन और गतिशील होने के लिए आन्दोलन की तरफ अत्यधिक आकृष्ट होते हैं। वर्तमान में कई मजदूर आन्दोलन भी हुए हैं। भारत में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, धियोसोफिकल सोसायटी एवं रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाये गये आन्दोलनों का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन व सुधार लाना था। असम में छात्रों द्वारा संचालित आन्दोलनों का उद्देश्य वहाँ से विदेशियों को निकालना रहा है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में हुए बिरसा आन्दोलन और भगत आन्दोलन, वीरसिंह आन्दोलन और राजस्थान के भीलों में हुए भगत आन्दोलन का उद्देश्य जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन में परिवर्तन लाना और कुप्रथाओं से मुक्ति प्राप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का संचार किया तथा देश को गुलामी की जंजीरों से स्वतन्त्र कराने हेतु देशवासियों में चेतना जाग्रत की।

किसी भी समाज में आन्दोलन तब उत्पन्न होता है, जब वहाँ के लोग वर्तमान स्थिति से असन्तुष्ट हों और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। कई बार आन्दोलन किसी परिवर्तन का विरोध करने हेतु भी आयोजित किये जाते हैं। किसी भी आन्दोलन की शुरुआत पहले असंगठित रूप से होती है। शनैः-शनैः उसमें व्यवस्था और संगठन उत्पन्न हो जाता है। आन्दोलनों में आरम्भिक समाजशास्त्रियों की रुचि परिवर्तन के एक प्रयास के रूप में रही जबकि आज के समाजशास्त्री आन्दोलनों को परिवर्तन उत्पन्न करने अथवा उसे रोकने के प्रयास के रूप में देखा करते हैं।

थियोडोरसन के शब्दों में, “आन्दोलन सामूहिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है, जिसमें परिवर्तन लाने या इसका विरोध करने में सहयोग देने हेतु लोगों की बहुत बड़ी संख्या में संगठित या जागरूक किया जाता है।”

हार्टन एवं हण्ट के शब्दों में, “आन्दोलन समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है।”

कैमरान के शब्दों में, “आन्दोलन तब होते हैं, जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति अथवा सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने या उसके स्थान पर दूसरे को स्थापित करने हेतु एक साथ बंध जाते हैं।”

हर्बर्ट ब्लूमर के शब्दों में, “जीवन की एक नयी व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किये जाने वाले सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आन्दोलन कहते हैं।” ऐसे आन्दोलन जब किसी जनजातीय समुदाय द्वारा किये जाते हैं तब इन्हें हम जनजातीय आन्दोलन कहते हैं।

जनजातीय आन्दोलन के कारण (CAUSES OF TRIBAL MOVEMENT)

जनजातीय आन्दोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1. वन सम्बन्धी कानून और नियम बहुत कठोर थे, उन्हें समझने तथा लागू करने में सहानुभूति की कमी थी।
2. जनजातीय भूमि का अजनजातीय लोगों के नाम हस्तान्तरण नियन्त्रित करने के लिए बनाये गये अधिनियमों की अक्षमता।
3. जनजातीय ऋणग्रस्तता का मुकाबला करने हेतु साख-सुविधाएँ अत्यन्त अपर्याप्त थीं।
4. समय-समय पर जनजातीय लोगों की स्थिति को सुधारने के दृष्टिकोण से बनायी गयी समितियों की विशेष सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब।
5. सिंचाई, विद्युत और अन्य परियोजनाओं हेतु जनजातीय लोगों की भूमि ले ली गई, किन्तु ऐसे जनजातीय लोगों को जो अपने घरों तथा खेतों से बेदखल कर दिए गए थे, बसाने के लिए उठाये गये कदम अपर्याप्त थे।

जनजातीय आन्दोलन की विशेषताएँ (CHARACTERISTICS OF TRIBAL MOVEMENT)

जनजातीय आन्दोलन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

1. **सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप (Form of Social Change)**—आन्दोलन सामाजिक परिवर्तन का ही स्वरूप है। आन्दोलन का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना अथवा परिवर्तनों का विरोध करना है। जब कोई आन्दोलन सफल होता है, तो वह अपने लक्ष्य के अनुरूप समाज में बदलाव लाता है।

2. **समस्या (Problem)**—प्रत्येक आन्दोलन का जन्म किसी-न-किसी समस्या के कारण होता है। समाज में जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे लोग ज्यादा सहन नहीं कर सकते तो उसे हटाने तथा उसके स्थान पर नयी व्यवस्था लाने के लिए आन्दोलन किया करते हैं।

3. **निश्चित उद्देश्य (Stated Goals)**—हर आन्दोलन का कोई-न-कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही लोग संगठित तथा जागरूक होकर प्रयास करते हैं।

4. **सुधारात्मक प्रवृत्ति (Corrective Trend)**—आन्दोलन की प्रकृति प्रचलित व्यवस्था या संस्कृति में पूर्ण अथवा आंशिक सुधार लाने की होती है, आन्दोलन का उद्देश्य प्राचीन रूढ़ियों, अन्धविश्वासों तथा शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करना होता है।

5. **अवैधता (Illegality)**—अधिकतम आन्दोलनों का उद्देश्य आधुनिक व्यवस्था में आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन लाना होता है, जिसे प्रचलित व्यवस्था मान्यता नहीं देती। इस प्रकार आन्दोलन अवैध माने जाते हैं और उन्हें समाज अथवा व्यवस्था विरोधी करार दिया जाता है।

6. **सामूहिक प्रयास (Collective Effort)**—किसी भी आन्दोलन को आन्दोलन तब कहा जायेगा, जब उसमें समाज के विभिन्न व्यक्ति शामिल हों। आन्दोलन में अधिकाधिक लोगों का सहयोग पाने के लिए असन्तुष्ट लोगों को एकत्रित किया जाता है और उन्हें सामूहिक व्यवहार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

7. **वैचारिकी/विचारधारा (Ideology)**—हर एक आन्दोलन के पीछे कोई-न-कोई विचारधारा जरूर होती है। विचारधारा/वैचारिकी विश्वासों, मूल्यों, मतों और प्रवृत्तियों का संगठन है, जिसमें मनुष्य के भूतकाल के अनुभव विद्यमान होते हैं तथा इसका प्रयोग वह वर्तमान की किसी घटना का वर्णन करने या उसे सही सिद्ध करने के लिए करता है।

8. **अनौपचारिक संगठन (Informal Organization)**—प्रत्येक आन्दोलन का एक अनौपचारिक संगठन होता है। इस संगठन के द्वारा ही आन्दोलन के लक्ष्यों को पाने की योजना तैयार की जाती है।

9. विकास (Development)—हर आन्दोलन का विकास धीरे-धीरे होता है। अंग्रेजों के द्वारा किये जाने वाले शोषण और अत्याचार व स्वतन्त्रता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा ने राष्ट्रीय आन्दोलन को उग्र तथा संगठित बनाया। असन्तोष बढ़ने तथा संचित होने के साथ-ही-साथ आन्दोलन विकसित होता है और उग्र रूप ले लेता है।

10. योजनाबद्ध प्रयास (Planned Efforts)—आन्दोलन को अलग-अलग चरणों में पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास किये जाते हैं। अयोजनाबद्ध प्रयासों के आधार पर आन्दोलन को अधिक समय तक संचालित नहीं किया जा सकता है।

जनजाति आन्दोलन के प्रमुख कारण

(MAJOR CAUSES OF TRIBAL MOVEMENTS)

1. वन सम्बन्धी कानून व नियम—प्राकृतिक वन पर्यावरण पर जनजाति अपना आदि निवास व अधिकार समझते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था व तत्कालीन जमींदारों व रियासतों द्वारा बनाये गये वन सम्बन्धी कानून और नियम बहुत कठोर थे जिनका जनजातियों के द्वारा विरोध किया गया। इन नियमों के अधीन जनजातियों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान से अलग करने, वन उत्पादों के उपयोग, झूम कृषि, आखेट सम्बन्धी कानून व नियम के विरुद्ध इनके द्वारा विरोध किया गया। कोई विद्रोह (1859) बस्तर क्षेत्र में साल वृक्ष कटाई के विरोध एवं बस्तर में बाह्य लोगों के प्रवेश के विरोध में किया गया।

2. भूमि सम्बन्धी कानून व नियमन—जनजाति क्षेत्र में भूमि सम्बन्धी नियम कानून बनाये गये जिसका जनजातियों के द्वारा विरोध किया गया। भूस्वामी के स्वत्वसम्बन्धी, भूमि अधिग्रहण एवं भू स्थानान्तरण अधिकारों से जनजातियों को वंचित करने से उनकी आजीविका व सामाजिक संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप आन्दोलन हुए।

3. भू-राजस्व व कर प्रणाली की व्यवस्था—ब्रिटिश शासन व्यवस्था तत्कालीन जमींदारों व रियासतों द्वारा भू राजस्व व कर प्रणाली की नवीन व्यवस्था लागू की गयी। इस दोषपूर्ण कर व्यवस्था एवं टैक्स की अवैध वसूली के विरोध में जनजातियों ने विभिन्न आन्दोलन किये।

4. जनजातीय संस्कृति—परम्परा व उनके प्राकृतिक क्षेत्रों का अनावश्यक हस्तक्षेप—ब्रिटिश शासन व्यवस्था एवं बाह्य लोगों द्वारा जनजातीय संस्कृति-परम्परा में परिवर्तन के प्रयास किये गये। साथ ही उनके प्राकृतिक क्षेत्रों का अनावश्यक हस्तक्षेप व प्रवेश का जनजातियों से विरोध किया। परिणामस्वरूप विभिन्न आन्दोलन हुए। मेरिया विद्रोह (1842-63) दौतवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित नरबलि प्रथा के विरोध में किया गया।

5. भेदभाव एवं शोषणकारी नीति—ब्रिटिश शासन व्यवस्था व तत्कालीन जमींदारों व रियासतों द्वारा जनजातियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनायी गई। उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित किया गया। बाह्य लोगों द्वारा जनजातियों के साथ शोषण किया गया। इसके विरोध में जनजातियों ने विभिन्न आन्दोलन किये।

छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय आन्दोलन

(MAJOR TRIBAL MOVEMENTS OF CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय आन्दोलन का निम्नवत् वर्णन किया जा रहा है—

1. हल्बा विद्रोह

(HALBA REVOLT)

हल्बा विद्रोह डोंगर क्षेत्र में हुआ था। चालुक्य शासक उसे रोकने में विफल रहे और उनका पतन हो गया। वे कम्पनी सरकार के षड्यन्त्र के कारण मराठों के अधीन हो गये। डोंगर कभी हल्बाओं का स्वतन्त्र राज्य था, जिसे बाद में बस्तर रियासत में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद बस्तर का राजा उसे उपराजधानी बनाकर अपने पुत्रों को वहाँ का गवर्नर नियुक्त करने लगा। बस्तर के राजा दलपत सिंह ने अपने पुत्र अजमेर सिंह को डोंगर का गवर्नर नियुक्त किया। 1774 ई. में जब दरियादेव बस्तर का नया

राजा नियुक्त हुआ तो उसने डोंगर क्षेत्र की अत्यधिक उपेक्षा की और शत्रुतावश अजमेर सिंह पर दयाव डालने लगा। इस वर्ष डोंगर क्षेत्र में बहुत भीषण अकाल पड़ा जिससे वहाँ अराजकता फैल गई। इसी समय दरियादेव ने डोंगर पर हमला कर दिया। इस समय डोंगर की सुरक्षा हेतु कांकर की सेना तैनात थी। दोनों सेनाओं के मध्य बहुत घमासान युद्ध हुआ। जिसमें दरियादेव पराजित हो गया और वह अपनी राजधानी जगदलपुर चला गया। इससे विद्रोहियों की स्थिति मजबूत हो गयी थी। उन्होंने बस्तर को हथियाने की एक योजना तैयार की। वे ऐसा करके कम्पनी सरकार की जगदलपुर में हस्तक्षेप अथवा दखलंदाजी को रोकना चाहते थे। विद्रोही लोग आगे बढ़ते रहे और दरियादेव की सेना पराजित होती गयी। इससे दरियादेव जयपुर राज्य चला गया।

दरियादेव जयपुर में रहकर अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। दरियादेव ने कम्पनी सरकार, मराठों व जयपुर के राजा के साथ अलग-अलग सन्धि करके 20,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। इस सेना की मदद से उसने जगदलपुर में विद्रोहियों को पराजित किया। दरियादेव ने जगदलपुर में अपना अधिकार स्थापित करके डोंगर पर आक्रमण किया। युद्ध में अजमेर सिंह मारा गया। हल्बा विद्रोहियों की बड़े पैमाने पर हत्या कर दी गई।

इस तरह, हल्बा विद्रोह का अन्त हुआ। लेकिन इसके कारण जगदलपुर के राजा की स्थिति अत्यन्त कमजोर हो गयी। बस्तर मराठा भोंसलाओं के अधीन हो गया और भविष्य में वहाँ अंग्रेजों के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो गया। विद्रोह समाप्त होने के पश्चात् बस्तर के राजा दरियादेव ने 6 अप्रैल, 1778 ई. को एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार उसे भोंसलों की अधीनता अपनायी पड़ी। जयपुर के राजा को सहायता के बदले पुरस्कारस्वरूप कोटण्ट परगना देना पड़ा।

हल्बा विद्रोह 1774-1779 के बीच में हुआ था।

2. मुरिया विद्रोह

(MURIYA REVOLT)

1876 ई. में बस्तर के राजा विशेषतः उसके दीवान एवं मुंशी के अत्याचारों तथा अंग्रेजों की शोषणमूलक नीति के विरुद्ध मुरिया आदिवासियों ने जो विद्रोह किया उसे 'मुरिया विद्रोह' अथवा '1876 का विद्रोह' कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत की अन्य देशी रियासतों के राजाओं की तरह बस्तर के राजा भैरमदेव को 'प्रिंस ऑफ वेल्स' के सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। ब्रिटिश के आदेशानुसार जब बस्तर का राजा भैरमदेव दिल्ली जाते हुए मारेंगा नामक स्थान पर पहुँचा तो मुरिया आदिवासियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे दिल्ली न जायें।

मुरिया आदिवासियों को यह आशंका थी कि राजा की अनुपस्थिति में दीवान गोपीनाथ व मुंशी आदिल प्रसाद के अत्याचार बढ़ जायेंगे। इसलिए मुरिया आदिवासियों ने राजा का घेराव करके उन्हें बस्तर पुनः लौटने के लिए निवेदन किया। दीवान गोपीनाथ ने स्थिति को बिगड़ते देख भीड़ पर गोली चलवा दी जिसमें कुछ लोग मारे गये और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार राजा को बस्तर लौटने के लिए विवश होना पड़ा।

दीवान गोपीनाथ ने दमन-चक्र शुरू किया। इससे त्रस्त होकर मुरिया आदिवासियों ने झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में विद्रोह करने का निश्चय किया। उन्होंने हर एक गाँव को एक तीर भेजना आरम्भ किया तथा आरापुर नामक स्थान पर लगभग 700 विद्रोही एकत्रित हुए और उन्होंने हथियार जुटाने शुरू किए। राजा को जब विद्रोही की गतिविधियों की जानकारी मिली तो वह स्वयं उन्हें शान्त करने व समझाने पहुँचा। किन्तु इससे कोई नतीजा नहीं निकला। विद्रोहियों ने सुरक्षा सैनिकों पर धावा बोल दिया। राजा की सेना तथा विद्रोहियों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें छः विद्रोहियों की मृत्यु हो गई। विद्रोहियों ने राजा के हाथी सैनिकों के आने पर हथियार डाल दिए तथा आरापुर से पलायन कर गए।

राजा और दीवान राजधानी जगदलपुर पुनः लौट आए। उन्होंने किले को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया, क्योंकि उन्हें विद्रोहियों के आक्रमण की आशंका थी। उनकी यह आशंका सही साबित हुई। विद्रोहियों ने झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में 2 मार्च, 1876 ई. को राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया।

इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा ने अंग्रेज अधिकारी से निवेदन किया। बस्तर के प्रशासन पर नियन्त्रण रखने की जिम्मेदारी सिरोंचा स्थित डिप्टी कमिशनर को सौंपी गयी। डिप्टी कमिशनर ने राजा की रक्षा के लिए मेक जार्ज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी। मेक जार्ज ने सबसे पहले विद्रोहियों से यह जानने की कोशिश की कि विद्रोह का क्या कारण है। विद्रोहियों ने उन्हें बताया कि उनकी लड़ाई राजा से नहीं बल्कि दीवान एवं मुंशी से है। विद्रोही आदिवासियों ने अपनी एक-सूत्री माँग को प्रशासन के सामने रखा और कहा कि दीवान गोपीनाथ तथा मुंशी आदिल प्रसाद को बस्तर से निष्कासित कर दिया जाये।

मेक जार्ज ने 8 अप्रैल, 1876 ई. को एक विशेष दरबार का आयोजन किया, जिसमें विद्रोहियों की माँग के अनुरूप निर्देश दिया। माँग पूरी होते ही विद्रोही आदिवासियों ने अपनी घेराबन्दी उठा ली। इस तरह, मुरिया विद्रोह सफलता के साथ खत्म हुआ।

3. परलकोट विद्रोह

(PARALKOT REVOLT)

परलकोट जमींदारी क्षेत्र में मराठों और ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध हुए अबूझमाड़िया के विद्रोह को 'परलकोट विद्रोह' के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व गेंदा सिंह ने किया था। अबूझमाड़ विद्रोही बाण व कुल्हाड़ी आदि से लैस होते थे। वे नगाड़ा बजाकर साथियों को एकत्रित करके मराठों तथा ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला बोल देते थे। वे युद्ध करने का छापामार तरीका अपनाते थे। इस आदिवासी क्षेत्र में गैर-आदिवासियों की मौजूदगी तथा उनकी मनमानी से वे बहुत परेशान थे। इस कारण गैर-आदिवासी उनके निशाने पर थे। इस स्थिति में मराठों तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने 10 जनवरी, 1825 ई. को परलकोट को चारों तरफ से घेर लिया और विद्रोही नेता गेंदा सिंह को गिरफ्तार करके उन्हें महल के सामने फाँसी दे दी गई। गेंदा सिंह की विफलता का सबसे मुख्य कारण अबूझमाड़ियों के पास परम्परागत हथियार होना व विरोधी व्यक्तियों के पास आधुनिक हथियार होना था।

4. भूमकाल विद्रोह

(BHUMKAL REVOLT)

भूमक अथवा भूमकाल का अर्थ 'भूकम्प अथवा भूमि का कम्पन' है। 1910 ई. में बस्तर का आदिवासी आन्दोलन बड़ा तथा व्यापक आन्दोलन था। इसीलिए इसे 'महान भूमकाल' की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस आन्दोलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता गुण्डाधूर, कुँवर बहादुर सिंह, बाला प्रसाद, नाजिर एवं दुलार सिंह इत्यादि थे। इन नेताओं में सर्वप्रमुख स्थान गुण्डाधूर का था।

भूमकाल विद्रोह के कारण (Causes of Bhumikal Revolt)

1. राजपरिवार के षड्यन्त्र—बस्तर के राजा रुद्रप्रताप देव के चाचा कालिन्द्र सिंह आदिवासियों के मध्य अत्यधिक प्रसिद्ध थे और उनकी मदद से वे रियासत में विशेष पद पाना चाहते थे। उनकी इसी चाह के कारण 1910 ई. का विद्रोह हुआ। राजा रुद्रप्रताप देव की सौतेली माता रानी सुवर्ण कुँवर अपनी उपेक्षा से सन्तुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने आन्दोलनकारियों का साथ दिया।

2. दीवान बैजनाथ पण्डा की कार्यवाही—आदिवासी दीवान बैजनाथ पण्डा से नाराज थे, क्योंकि दीवान ने आरक्षित वन पद्धति को बढ़ावा दिया था। बेगार एवं भूमि सम्बन्धी विवाद ने इस स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया। इसके लिए आदिवासी लोग दीवान को ही अपना एकमात्र दोषी मानते थे। आदिवासी लोग दीवान से इसलिए भी नाराज थे क्योंकि वह उन्हें राजा से प्रत्यया भेंट करने की अनुमति नहीं देता था।

3. अधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदारों द्वारा शोषण—रियासत के अधिकारी तथा कर्मचारी आदिवासियों के साथ गलत व्यवहार करते थे। वे आदिवासियों के सामने अन्यायपूर्ण माँग रखते थे। परिसर में जो लोग बाहर से आये थे, वे व्यापार के द्वारा आदिवासियों का शोषण करते थे। आदिवासियों के असन्तोष का कारण शराब ठेकेदारों का शोषण भी था।

4. ब्रिटिश लोगों का हस्तक्षेप— ब्रिटिश हस्तक्षेप भी आदिवासियों के असन्तोष का एक बड़ा कारण था। कार के आदिवासी अपने राजा को ही सबसे शक्तिमान मानते थे तथा अपने राजा के द्वारा ही आसित होना चाहते थे। वे बाहर से थोपे गए किसी ब्रिटिश अधिकारी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ब्रिटिश हस्तक्षेप से आदिवासी आन्दोलन कर उठे और उन्होंने नारा बुलन्द किया—“बस्तर, बस्तर वालों का है।”

जनजातीय आन्दोलन के परिणाम

(RESULTS OF TRIBAL MOVEMENTS)

जनजातियों के द्वारा किये जाने वाले आन्दोलनों के प्रभावों को निम्न रूप में समझा जा सकता है—

1. सबसे पहले विरोध आन्दोलनों के परिणामस्वरूप जनजातियों की शक्ति बढ़ी। जो जनजातियाँ एक-दूसरे से अलग थीं, उनमें सहयोग तथा सम्बन्ध की प्रक्रिया बढ़ी। इन आन्दोलनों से बड़े भू-स्वामियों तथा अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले शोषण में कमी आई और जनजातियों को वे सुविधाएँ मिलने लगीं जिनकी उनके जीवन में लम्बे समय तक कमी रही थी।
2. जनजातियों द्वारा जो एकतावादी आन्दोलन शुरू किये गये, उनके प्रभाव से जनजातियों का अपने निकटवर्ती कमजोर वर्गों से सम्पर्क बढ़ने के साथ स्वयं कई जनजातीय वर्गों में एकता में वृद्धि होने लगी।
3. सुधारवादी आन्दोलनों के परिणामतः जनजातीय समुदायों में मौजूद बहु-विवाह, मद्यपान, धार्मिक अन्धविश्वासों, बलि-प्रथा और इसी तरह की दूसरी बुराइयों का विरोध होने लगा। विभिन्न जनजातियों ने अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संस्थाओं का पुनर्परीक्षण करके उनमें वे परिवर्तन करने शुरू कर दिये, जिससे उनका जीवन अति-प्रगतिशील बन सके।
4. जनजातीय आन्दोलनों का मुख्य प्रभाव मनोवृत्तियों में होने वाला परिवर्तन है। आज अधिकतम जनजातियाँ स्वयं को असहाय तथा दुर्बल समुदाय के रूप में नहीं देखती हैं, अपितु शनैः-शनैः वे राष्ट्र की उन विशेषताओं के विरोध में नहीं हैं, जो उनके समुदाय में उपयोगी परिवर्तन ला सकती हैं।

अभ्यास प्रश्न

(EXERCISE QUESTIONS)

□ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जनजातीय आन्दोलन क्या है? इसके कारण बताइए। (What is Tribal Movement? Explain its causes.)
2. जनजातीय आन्दोलन को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (Define Tribal Movement and describe its characteristics.)
3. निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए (Write a detailed note on the following):
(अ) हल्बा विद्रोह (Halba Revolt) (ब) मुरिया विद्रोह (Muriya Revolt)
(स) परलकोट विद्रोह (Paralkot Revolt) (द) भूमकाल विद्रोह (Bhumkal Revolt)

□ लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. जनजातीय आन्दोलन क्या है? (What is Tribal Movement?)
2. जनजातीय आन्दोलन के कारण बताइए। (Explain the causes of Tribal Movement.)
3. जनजातीय आन्दोलन की विशेषताएँ बताइए। (Explain the characteristics of Tribal Movement.)
4. हल्बा विद्रोह पर संक्षिप्त लेख लिखिए। (Write a short note on Halba Revolt.)
5. भूमकाल विद्रोह के कारण बताइए। (Explain the causes of Bhumkal Revolt.)